कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांकःम–115/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–13(जीएन)/ 575. दिनांकः जुलाई 8 2016.

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजक),
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स ए0आई0जी0 इन्फाटेक (इण्डिया) प्रा0 लि0 द्वारा जी0एच0–01(जी0सी0–02) गौर सिटी सेक्टर–04 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे निर्मित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर–ए0,बी0,सी0,डी0,ई0,एफ0,जी0,एच0,एवं आई0) की कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः यूआईडी:2016/20367/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/4933/डीडी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत सामूहिक बहुमंजिली आवासीय भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–3, ग्रेटर नौएडा द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 25–06–2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 05–07–2016 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचनाः–प्रश्नगत भवन का प्लोट एरिया–20,000.00 वर्ग मी0 है। जिसमे प्रस्तावित आवासीय भवनों का इस कार्यालय के समांक पत्र संख्या दिनांकः 13–05–2014 के माध्यम से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया गया है। तथा वर्तमान मे 09 अदद आवासीय टावरों का कम्प्लीशन हेतु फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत है:–

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँचाई मी0।
1	टावर–ए0	बेस0, स्टिल्ट एवं 17 तल	329.160	57.68
2	टावर–बी0	बेस0, स्टिल्ट एवं 17 तल	281.249	57.68
3	टावर–सी0	बेस0, स्टिल्ट एवं 17 तल	281.249	57.68
4	टावर–डी0	बेस0, स्टिल्ट एवं 17 तल	453.390	57.68
5	टावर–ई0	बेस0, स्टिल्ट एवं 17 तल	442.655	57.68
6	टावर–एफ0	बेस0, स्टिल्ट एवं 17 तल	442.655	57.68
7	टावर–जी0	बेस0, स्टिल्ट एवं 17 तल	554.831	57.68
8	टावर–एच0	बेस0, स्टिल्ट एवं 17 तल	337.276	57.68
9	टावर–आई0	बेस0, स्टिल्ट एवं 17 तल	364.515	57.68

बेसमेन्टः– प्रश्नगत भवन के टावरो के नीचे सिंगल बेसमेन्ट जिसका कवर्ड एरिया–15584.45 वर्ग मी0 है।

भवन का अधिभोग– प्रश्नगत भवन का अधिभोग सामुहिक बहुमंजिला आवासीय भवन हेतु है जो (एन0बी0सी0 की ए0–4) श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐ–

1–पहुँच मार्ग– भवन के सामने 24.00 मी0 का रोड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मानकों के अनुसार उपलब्ध है तथा प्रवेश द्वार की चौडाई मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2–सैटबेकः– प्रश्नगत भवन के सेटबैक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग भाग–15.00 मीटर।
बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मीटर।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मीटर।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मीटर।

प्रश्नगत भवन मे सैटबेक भवन विनियमावली–2006 के अनुसार है। तथा भवन के चारो ओर अग्निशमन कार्य हेतु 06 मीटर मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त मार्ग उपलब्ध है जिसे सदैव अवरोध मुक्त रखा जाये, जिसमे भविष्य मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण अनुमन्य नही होगा।

3–निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेस जिनकी चौडाई मानको के अनुरूप 1.50 एवं 1.25 मीटर है। तथा निकास मार्गो की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। बेसमेन्ट मे 02 अदद रैम्प एवं एवं प्रत्येक टावर का एक एक स्टेयर बेसमेन्ट मे गया है। फायर स्टेयर केस के रूप मे स्थापित है।

4–रिफ्यूज एरियाः– प्रश्नगत भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु बालकनी निर्मित है, जो एन0बी0सी0 मानक के अनुरूप उपलब्ध है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित पायी गयी।

(पी0 के0 राव)
निदेशक फायर सर्विस
उ0 प्र0 लखनऊ

1–होजरील / डाउनकामर:–प्रश्नगत भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील, लैन्डिंग वाल्व, होज पाइप एवं ब्रान्च पाईप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे पाई गई।

2–भूमिगत टैंक:– प्रश्नगत भवन परिसर मे अग्निशमन व्यवस्था हेतु 2,50,000 ली0 क्षमता का भूमिगत टैंक मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

3–पम्प:– प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक के पास 01 अदद विद्युत चालित मैन फायर पम्प क्षमता 2280 एल0पी0एम0, समकक्ष क्षमता का डीजल चालित पम्प व 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का स्प्रिंकलर पम्प एवं 02 अदद जौकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 एन0बी0सी0 के अनुसार स्थापित है।

4–टेरिस टैंक:– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0 मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

5–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

6–ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

7–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:–सम्पूर्ण भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित है।

8–वेटराईजर:– प्रश्नगत भवन मे वेटराईजर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित तथा कार्यशील दशा मे है जो पम्प रूम से संयोजित है।

9–यार्ड हाईड्रेन्टस:– सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईड्रेन्टस, होज बाक्स मय डिलीवरी होज पाइप, तथा ब्रान्च पाईप स्थापित तथा कार्यशील दशा मे पाये गये।

10–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन एन0बी0सी0 के अनुसार है।

11–पी0ए0 सिस्टम:– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम की स्थापना मानको के अनुसार है।

12–एग्जिट साईनेज:–सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार है।

13–प्रशिक्षित स्टॉफ:–भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ की नियुक्ति की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर एवं अग्निशमन अधिकारी इकोटेक–3 ग्रेटर नौएडा की संस्तुति आख्या के आधार पर मैसर्स ए0आई0जी0 इन्फ्राटेक (इण्डिया) प्रा0 लि0 द्वारा जी0एच0–01(जी0सी0–02) गौर सिटी सेक्टर–04 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे निर्मित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर–ए0, बी0, सी0, डी0, ई0, एफ0, जी0, एच0, एवं आई0) मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित करने की कृपा करे कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2– भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4– भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5– प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियो को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6– भवन मे विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक / स्वामी का होगा।

9– उक्त शर्तो का उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(डी0के0 राव)
निदेशक, फायर सर्विस
उ0 प्र0 लखनऊ

(डी0के0 राव)
निदेशक फायर सर्विस
उ0 प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि: 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–3 ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स ए0आई0जी0 इन्फ्राटेक (इण्डिया) प्रा0 लि0, जी0एच0–01(जी0सी0–02) गौर सिटी सेक्टर–04 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।